

बिहार सरकार  
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

शुद्धि पत्र

संख्या-5/आ01-104/2007-

357

पटना, दिनांक- 12.5.16

श्री लाल बहादुर सिंह, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, आरा (सम्प्रति सेवानिवृत्त, तिथि 31.12.2012) के विरुद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत विभागीय संकल्प सं0-176 दिनांक-24.02.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई है।

तत्संबंधी संकल्प के की दूसरी पंक्ति में अंकित "श्री लाल बहादुर सिंह, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, आरा (सम्प्रति सेवानिवृत्त, तिथि 21.12.2012)" को एतद् द्वारा संशोधित कर "श्री लाल बहादुर सिंह, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, आरा (सम्प्रति सेवानिवृत्त, तिथि 31.12.2012)" किया जाता है।

शेष विषय यथावत् रहेंगे।

(राजेन्द्र प्रसाद सिंह)  
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-5/आ01-104/2007-

357

पटना, दिनांक-

12.5.16

प्रतिलिपि:- आरोप पत्र की प्रति के साथ विभागीय जांच आयुक्त, बिहार, पटना/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, आरा एवं श्री लाल बहादुर सिंह, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, आरा (सम्प्रति सेवानिवृत्त), पता-मुहल्ला 136, आशियाना नगर, फेज-1, डाकघर-आशियाना नगर, थाना-राजीव नगर, पटना, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजेन्द्र प्रसाद सिंह)  
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-5/आ01-104/2007-

357

पटना, दिनांक-

12.5.16

प्रतिलिपि:- माननीय लोकायुक्त, बिहार, पटना को उनके पत्रांक-81/लोक, दिनांक-07.12.2015 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजेन्द्र प्रसाद सिंह)  
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-5/आ01-104/2007-

357

पटना, दिनांक-

12.5.16

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के आप्त सचिव/उप सचिव/सभी मुख्य अभियंता (क्षेत्रीय सहित)/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी तथा प्रशाखा पदाधिकारी-1/आई0टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजेन्द्र प्रसाद सिंह)  
संयुक्त सचिव